तत्काल/IMMEDIATE

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Managemen
(आबंटन अनुभाग/Allotment Section)

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

दूसरा तल , उत्तर स्कंध/2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन/Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर/Anushaktinagar,
मुंबई 400 094/ Mumbai 400 094.

निसेसंप्रननि DCSEM/2/1/आबं Allot/2023-24/209 दिनांक/Date: 20.10.2023

परिपत्र CIRCULAR

विषय: अणुशक्तिनगर में नवनिर्मित जयंतिया और पारसनाथ बिल्डिंग के 208 डी प्रकार के फ्लैटों का विशेष आबंटन

SUBJECT: SPECIAL ALLOTMENT OF NEWLY CONSTRUCTED 208 TYPE D FLATS IN JAINTIA AND PARASNATH BUILDINGS IN ANUSHAKTINAGAR

निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय को दिनांक 10.10.2023 को अणुशक्तिनगर में नवनिर्मित टाइप डी भवनों अर्थात् जयंतिया (डी1) और पारसनाथ (डी2) के लिए बहुप्रतीक्षित अंतिम अधिग्रहण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इन इमारतों में कुल 208 फ्लैट (प्रत्येक इमारत में 104 फ्लैट) शामिल हैं। इन फ्लैटों को आबंटन वर्ष 2023-2024 के मध्य यानी अक्टूबर 2023 में एकमुश्त विशेष आबंटन के रूप में देने के लिए विभाग में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी भी प्राप्त कर ली गई है।

Directorate of Construction, Services and Estate Management has received the much awaited Final Occupation certificate for the newly constructed Type D buildings namely JAINTIA (D1) and PARASNATH (D2) at Anushaktinagar on 10.10.2023. These buildings comprise total 208 flats (104 flats in each building). Approval of the Competent Authority in the Department has also been obtained for introduction of these flats for allotment in the midst of the Allotment Year 2023-2024 i.e. in October 2023 as a onetime special dispensation.

2. आबंटन वर्ष 2023-2024 की अंतिम प्राथमिकता सूची से प्राप्त इन टाइप डी फ्लैटों (टेम्प डी के नाम से) के लिए एक अलग प्राथमिकता सूची सेवा और वेतन वरिष्ठता के संबंध में 1:1 के अनुपात में संचालित की जाएगी। इन टाइप डी फ्लैटों के लिए अलग प्राथमिकता सूची तैयार करने के लिए अनुमोदित मानदंड इस प्रकार हैं:

A separate priority list for these Type D flats (named as Temp D) derived from the Final Priority List for Allotment Year 2023-2024 will be operated in the ratio of 1:1 with respect to Service and Pay Seniority. The criteria approved for generating separate priority list for these Type D flats is as follows:

(a) दिनांक 10.04.2023 को प्रकाशित आबंटन वर्ष 2023-2024 के लिए अंतिम प्राथमिकता सूची से, जिन कर्मचारियों ने लेवल 9,10,11,12,13 और 13 – ए (01.04.2023 तक) में वेतन प्राप्त किया है और

अणुशक्तिनगर स्थान के लिए आवेदन किया है केवल उन्हें ही बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों ने अणुशक्तिनगर के अलावा अन्य स्थानों के लिए आवेदन किया है, उन्हें नहीं बुलाया जाएगा।

From the Final Priority List for Allotment Year 2023-2024 published on 10.04.2023, employees who have drawn pay in Level 9,10,11,12,13 & 13 – A (as on 01.04.2023) and have applied for Anushaktinagar locality are only CALLED. Employees who have applied for locations other than Anushaktinagar will NOT BE CALLED.

(b) वर्ष 2023-2024 के लिए वर्तमान प्राथमिकता सूची से हटा दिए गए कर्मचारियों को फिर से सक्रिय किया गया है और एकमुश्त उपाय के रूप में आबंटन के लिए बुलाया गया है। हालाँकि, यदि उन्हें नई सूची में हटा दिया जाता है, तो वर्ष 2023-24 के लिए टाइप डी अणुशक्तिनगर की वर्तमान प्राथमिकता सूची से उनकी हटाई गई स्थिति बरकरार रहेगी।

Employees DROPPED from the current priority list for the year 2023-2024 have been re- activated and CALLED for allotment as a onetime measure. However, if they are dropped in the new list, their Dropped status from current priority list of Type D Anushaktinagar for the year 2023-24 will be maintained.

(c) जिन कर्मचारियों को अनंतिम रूप से टाइप डी नियमित आबंटन (नया/उसी श्रेणी में परिवर्तन) में लघु और प्रमुख मरम्मत फ्लैट (श्रेणी बी और सी) आबंटित किया गया है और जिनका फ्लैट आज तक तैयार नहीं है, उन्हें भी एकमुश्त उपाय के रूप में आबंटन के लिए बुलाया जाएगा।

Employees who have been PROVISIONALLY ALLOTTED minor and major repair flat (Category B & C) in Type D regular allotment (fresh /change in same category) and whose flat is not ready till date, are also CALLED for allotment as a onetime measure.

नए टाइप डी फ्लैटों के आबंटन पर, आवेदक को टाइप डी परिणाम के प्रकाशित होने की तारीख से 02 दिनों की अवधि के भीतर पहले के नियमित आबंटन कार्यक्रम में अनंतिम आबंटित फ्लैट और नए आबंटित टाइप डी फ्लैट्स के बीच चयन करना होगा।

On allotment of new Type D Flats, applicant will be required to choose between the provisionally allotted flat in earlier regular allotment schedule and newly allotted Type D Flats within period of 02 DAYS from date of publication of Type D result.

(d) जिन कर्मचारियों को वर्तमान आबंटन वर्ष यानी 2023-24 के दौरान टाइप डी फ्लैट (तैयार/मरम्मत) आबंटित किया गया था और उन्होंने उस आबंटन को रद्द कर दिया है, उन्हें भी एकमुश्त उपाय के रूप में आबंटन के लिए बुलाया गया है।

Employees who were ALLOTTED a Type D flat (ready/repair) during current allotment year i.e. 2023-24 and have CANCELLED that allotment are also CALLED for allotment as a onetime measure.

(e) जिन कर्मचारियों को वर्तमान आबंटन वर्ष यानी 2023-24 में एक फ्लैट आबंटित किया गया था और उन्होंने चालू वर्ष में उक्त फ्लैट पर कब्जा कर लिया है, उन्हें नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि एक आबंटन वर्ष में विशेष प्रकार में केवल एक आबंटन की अनुमति है।

Employees who were ALLOTTED a flat in current allotment year i.e. 2023-24 and have OCCUPIED the said flat IN THE CURRENT YEAR WILL NOT BE CALLED as only one allotment in particular type is allowed in an Allotment Year.

(f) पदाधिकारी मुंबई में अपनी संबंधित इकाइयों में स्थानांतरण पर आए है (10.04.2023) को अंतिम प्राथमिकता सूची 2023-24 के प्रकाशन के बाद) और आबंटन वर्ष 2023-24 के लिए अणुशक्तिनगर स्थान के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी एकमुश्त उपाय के रूप में बुलाया गया है।

Officials joined on transfer to their respective units in Mumbai (post publication of Final Priority List 2023-24 on 10.04.2023) and have applied for Anushaktinagar location for Allotment Year 2023-24 are also CALLED as a onetime measure.

(g) जिन कर्मचारियों को उच्च योग्य प्रकार यानी टाइप ई और टाइप डी-स्पेशल अणुशक्तिनगर से हटा दिए जाने के कारण टाइप डी से हटा दिया गया है, वे इस आबंटन के पात्र नहीं होंगे ।

Employees who are DROPPED in Type D on account of being dropped in higher eligible type's i.e. Type E and Type D-Special Anushaktinagar will continue to be DROPPED for this allotment.

(h) दूसरे परिवर्तन की अनुमति नहीं है। Second change is not allowed.

3. यह विशेष आबंटन सितंबर 2023 टाइप डी आबंटन कार्यक्रम की निरंतरता में होगा। तदनुसार, इन टाइप डी फ्लैटों का पहला आबंटन "वेतन वरिष्ठता" में किया जाएगा क्योंकि सितंबर 2023 में अंतिम आबंटन "सेवा वरिष्ठता" में था। एक बार की व्यवस्था होने के कारण, विशेष रूप से तैयार की गई टाइप डी प्राथमिकता सूची पूरी तरह से प्राथमिकता संख्या से शुरू होकर संचालित की जाएगी। 01 अंत तक या अंतिम फ्लैट आबंटित होने तक, जो भी पहले हो।

This Special allotment will be in continuation of September 2023 Type D allotment schedule. Accordingly, the first allotment of these Type D flats will be made to "PAY Seniority" as the last allotment in September 2023 schedule was in "Service Seniority". Being onetime dispensation, the specially drawn Type D priority list will be fully operated beginning from Priority no. 01 till the end or till the last flat is allotted, whichever is earlier.

4. एससी/एसटी रोस्टर भी यथावत संचालित किया जायेगा। यह सबसे पहले इस आबंटन के लिए संचालित होगा, इसके बाद 31 अक्टूबर से 02 नवंबर 2023 तक नियमित टाइप डी आबंटन निर्धारित होगा।

The SC/ST Roster will also be operated in continuation. It will operate firstly for this allotment followed by the regular Type D allotment scheduled from 31st October – 02nd November 2023.

5. जिन अधिकारियों को इस आबंटन में फ्लैट आबंटित किया गया है, उन्हें शेष आबंटन वर्ष के लिए नियमित टाईप डी आबंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही बाद में कर्मचारी द्वारा फ्लैट रद्द कर दिया गया हो।

Officials who are allotted a flat in this allotment will not be considered for regular Type D allotment for the rest of Allotment Year even though the flat is cancelled by the employee subsequently.

6. चूंकि यह एक बार की विशेष व्यवस्था है, जो कर्मचारी छुट्टी/आधिकारिक ड्यूटी/प्रतिनियुक्ति आदि के कारण इस आबंटन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, उन्हें दोबारा नहीं बुलाया जाएगा।.

As it is a onetime special dispensation, employees who are unable to exercise their option for this allotment due to leave/official duty/deputation etc WILL NOT BE CALLED AGAIN.

7. बिना आबंटित फ्लैट, यदि कोई हो, को नवंबर 2023 के नियमित आबंटन कार्यक्रम के लिए रिक्ति पूल में जोड़ा जाएगा।**Flats remaining un-allotted, if any, will be added to the vacancy pool for the regular Allotment schedule of November 2023.**

8. डीएई निवास में डिफ़ॉल्ट पासवर्ड (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में जन्म तिथि) के अनिवार्य परिवर्तन के लिए इस निदेशालय द्वारा दिनांक 19.10.2023 को जारी परिपत्र की विषयवस्तु को कृपया उपरोक्त अनुसूची के लिए विकल्पों के प्रयोग से पहले नोट की जाए।**The contents of the Circular issued by this Directorate dated 19.10.2023 for mandatory change of default password (Date of Birth in DD/MM/YYYY format) in DAE Niwas may kindly be noted before exercise of options for the above schedule.**

9. जयंतिया और पारसनाथ भवनों में 208 फ्लैटों के आबंटन का कार्यक्रम दिनांक **26/10/2023 (0000 बजे) से 30/10/2023 (2359 बजे)** तक निर्धारित किया गया है। इस आबंटन का परिणाम अस्थायी रूप से 31 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित किया जाएगा।

The schedule for allotment of 208 flats in JAINTIA AND PARASNATH buildings has been fixed from 26/10/2023 (0000 hrs) to 30/10/2023 (2359 hrs). The result of this allotment will be tentatively published on 31st October 2023.

10. अस्थायी डी के लिए प्राथमिकता सूची शीघ्र ही निसेसंप्रनि वेबसाइट और डीएई निवास में उपलब्ध कराई जाएगी।

The Priority List for Temp D will be made available in DCSEM website and DAE Niwas shortly.

11. उपरोक्त बिंदु (09) में बताए अनुसार निर्धारित तिथियों पर विकल्पों के प्रयोग में कर्मचारियों की सुविधा के लिए, जयंतिया और पारसनाथ भवनों की एक विशिष्ट मंजिल योजना क्रमशः अनुबंध - I और II के रूप में संलग्न है।

A typical floor plan of JAINTIA AND PARASNATH buildings are attached as Annexure – I and II, respectively, to facilitate the employees in the exercise of options on the set dates as stated at point (09) above.

इसे इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। **This issues with the approval of Competent Authority in this Directorate.**

आशा जैसन
20.10.2023

(आशा जैसन **Asha Jaison**)

प्रशासनिक अधिकारी - III /**Administrative Officer - III** (संपदा प्रबंध/EM)

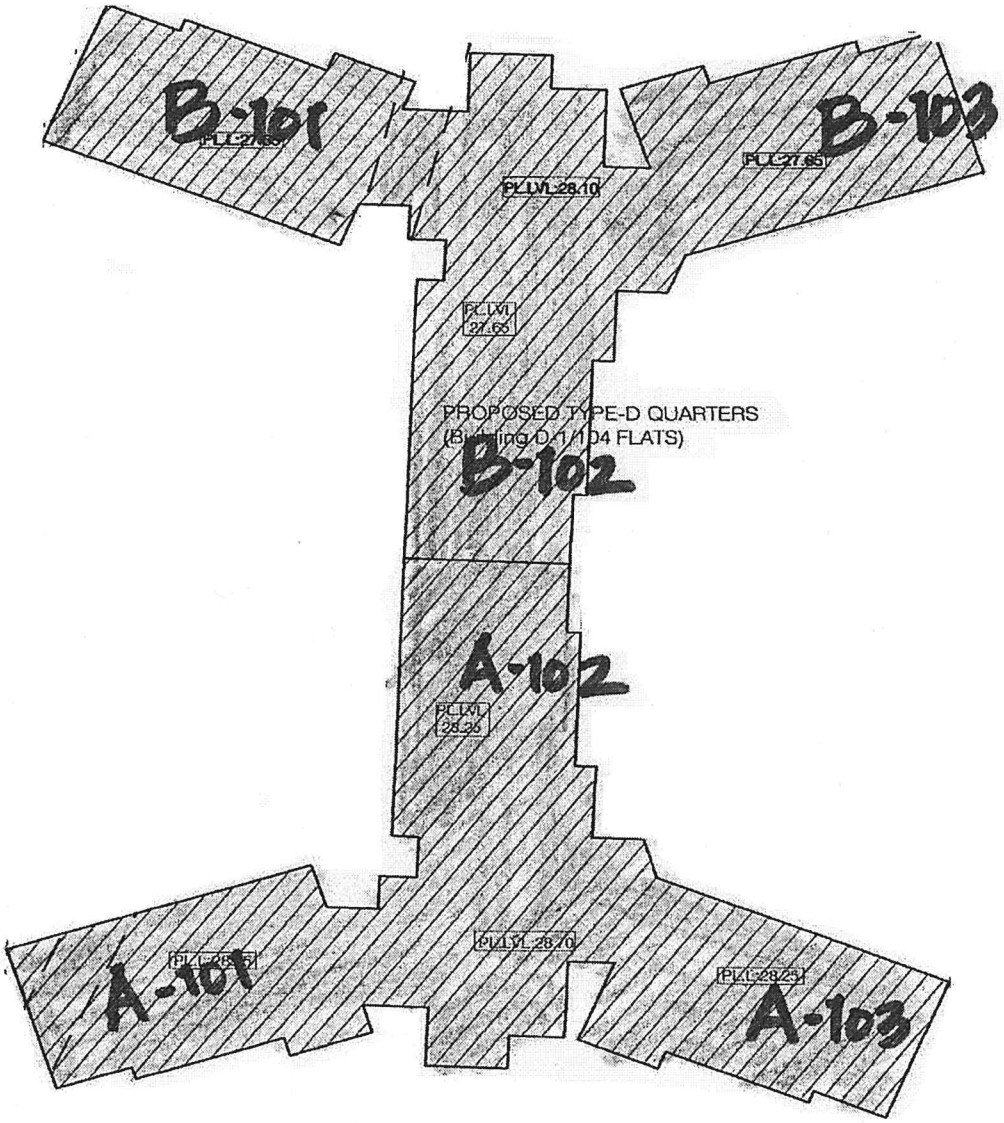
प्रति/ To,

मुंबई के पऊवि इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख

Administrative Head of DAE Units in Mumbai

JAINTIA

D1 BUILDING

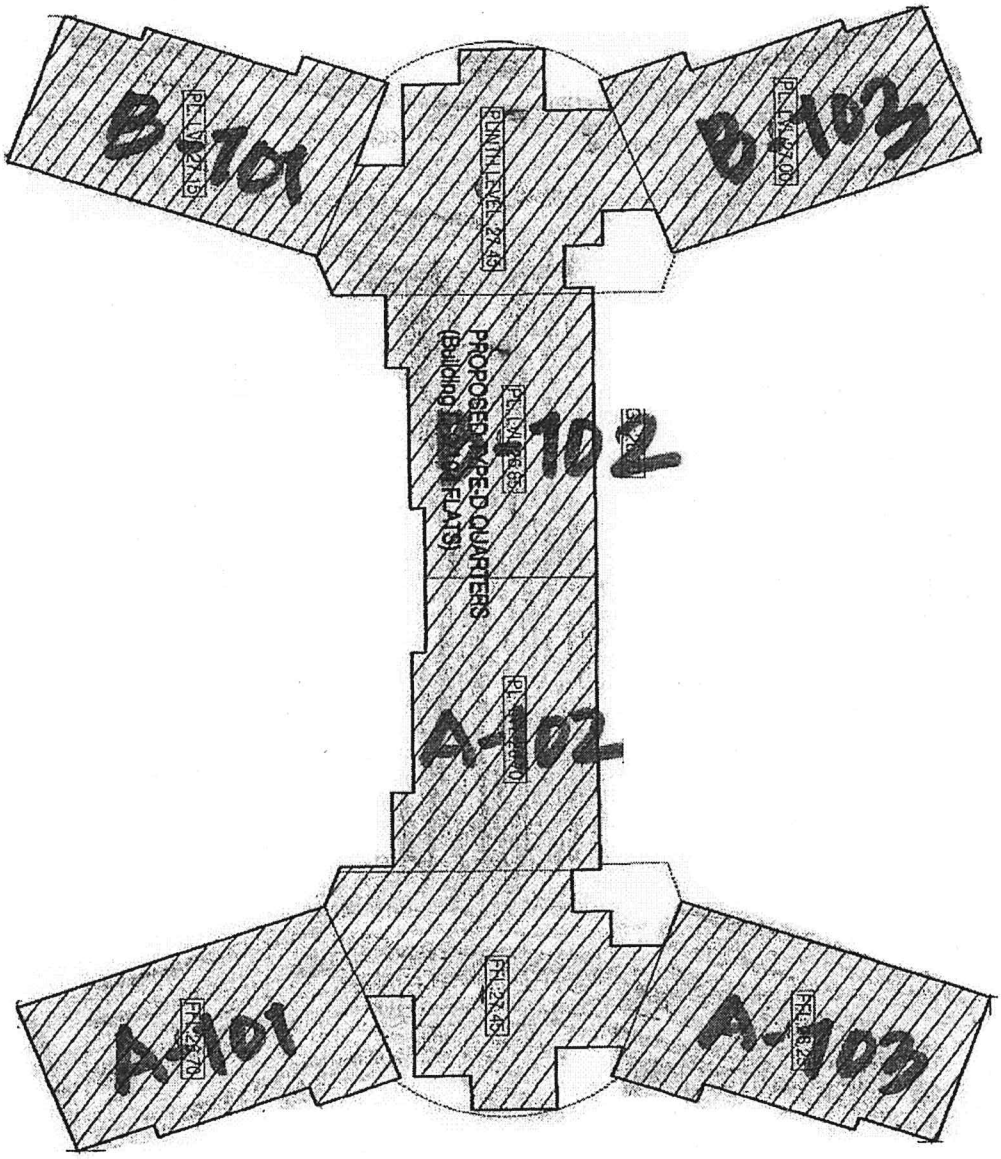


D1 - BUILDING
JAINTIA



PARASNATH

D2 BUILDING



D2 BUILDING :
PARASNATH

→ N